महत्वपूर्ण एवं खास

तीन लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़। अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत तीन लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत सर्पदंश व पानी में डूबने से मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम रायगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील रायगढ़ के ग्राम एकतानगर हीरापुर निवासी तुलसी यादव की 14 मई 2021 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पति नंदकुमार यादव को 4 लाख रुपये, ग्राम-सांगीतराई के कु.विभा की 26 जनवरी 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता रवि महाराज को 4 लाख रुपये तथा तहसील पुसौर के ग्राम-टपरदा निवासी प्रमोद कुमार की 14 मई 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता नर्मदा प्रसाद को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 09 जनवरी को

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी का प्रसारण 09 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे तक होगा।

कोविड-19 एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान संक्रमण के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी

रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19)एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा गाईड लाईन जारी किया गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने वर्तमान में कोरोना पाजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना/ओमिक्रान के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया है। सीमाओं और सभी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का रेंडम चेकिंग करें। आवश्यकतानुसार माइक्रो एवं मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए। सभी संक्रमित मामलों का पता लगाते हुए उन्हें ट्रेक करें एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए। होम आईसोलेशन के मामलों के लिए 24×7 कॉल सेंटर सक्रिय किया जाए। मितानिनों के माध्यम से ग्रामीणों क्षेत्रों की निगरानी किया जाए। अस्पताल के बिस्तरों, दवाओं के स्टॉक, पीएसए संयंत्रों, ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच की जाए। सभी सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता पर ऑनलाईन रीयल टाइम डेटा फीडिंग सुनिश्चित करें। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क पहनने की सख्ती से लागू की जाए। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

जिले में धारा 144 लागूः कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कोरोना वायरस एवं ओमिकॉन एक संक्रामक बीमारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देश है कि कोरोना वायरस एवं ओमिकॉन से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध में रखा जाये।

रायगढ़ जिले में उक्त वायरस के फैलने या संक्रमण होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। तत्संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में आदेश दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि

होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना/ओमिकान के रोकथाम हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिए कि वह कोविड-19 से संक्रमित है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरंत सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को देगा एवं उनके द्वारा दिये गये निर्देश (मौखिक या लिखित) जो कि निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण क्वारेंटीन संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की अवहेलना करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।

ऐसे जगहों के सभी मालिक/प्रबंधक/निवासरत सभी व्यक्तियों पर यह बाध्यता होगी कि वे ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में न आये जिनसे कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका है या कोविड-19 से संक्रमित देशों से आये है इस हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दूरभाष टोल फ्री नं.104 से संपर्क करके जिला चिकित्सालय एवं रेल्वे स्टेशन रायगढ़ में हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देंगे और वे बाध्य होंगे कि वे तुरंत सहयोग देकर ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अप्रतिबंधित और सारी जानकारी का खुलासा करेंगे और सहायता देंगे जो निर्धारित स्वास्थ्य दल, जांच दल को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। इन दलों के द्वारा दिये गये निर्देशों (लिखित या मौखिक) का पालन करेंगे जो निगरानी जांच /भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज के लिए आवश्यक होगा। यदि आवश्यक उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा 270 के तहत दण्ड का भागी होगा।

इस धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार मेरे आदेश के पालन करवाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश 5 जनवरी 2022 से रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

पशुओं को ब्रुसेलोसिस बीमारी से बचाने टीकाकरण अभियान 5 जनवरी से हुआ शुरू

रायगढ़। पशुओं में होने वाली जुनोटिक बीमारी ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत 30 दिवसीय ब्रुसेलोसिस टीकाकरण अभियान पशुधन विकास विभाग, रायगढ़ द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 4 से 8 माह की उम्र के सभी मादा बछिया को ब्रुसेलोसिस बीमारी से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान 05 जनवरी से शुरू हुआ जो 04 फरवरी तक चलेगा।

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें रायगढ़ डॉ.आर.एच.पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिले में 123 टीकाकरण टीम का गठन किया गया है। गठित टीम द्वारा ग्रामों/गौठानों में भ्रमण कर मादा बछियों का टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग करके भारत सरकार के ऑनलाईन पोर्टल आईएनएपीएच पर पंजीकृत भी किया जायेगा। ज्ञात हो कि ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु जनित पशुजन्य जुनोटिक रोग है जो पशुओं से इंसानों में भी फैल सकती है।

इससे पशुओं में गर्भकाल के अंतिम 3-4 महीनों में गर्भपात होता है एवं मनुष्यों में फैलने पर अण्डुलेन्ट फीवर, जोड़ों में दर्द एवं नपुंसकता जैसी बीमारी हो सकती है। पशुधन विकास विभाग द्वारा टीकाकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुरक्षा उपकरण समस्त फील्ड स्टॉफ को पूर्व ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस अभियान के निगरानी के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर का नोडल अधिकारी एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। समस्त पशुपालक अपने 4 से 8 माह के मादा बछियों को ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण अवश्य करायें।

उद्योगों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से हो पालन-कलेक्टर

» अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश

» कोविड नियंत्रण के मद्देनजर कलेक्टर सिंह ने ली उद्योग व चेम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक

रायगढ़। कोविड-19 एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलो के मद्देनजर आज कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य, उद्योग विभाग एवं चेम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड पॉजीटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसमें से जिले के उद्योगो से भी बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित मरीज निकल रहे है। ऐसे में सभी को तमाम एहतियाती उपायों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। रात्रि 10 से 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा स्कूल आंगनबाड़ी, जिम, थियेटर, स्वीमिंगपूल आदि को बंद किया गया है। जिसके पालन के साथ ही जिले के उद्योगों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में कोरोना के मामले जिले में न बढ़े और हम संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने में सफल हो सके।

कलेक्टर सिंह ने संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए उद्योग विभाग एवं चेम्बर ऑफ कामर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि संक्रमण के रोकथाम के लिए सभी कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से मजदूर आते है। जिनसे संक्रमण फैलने की आशंका होती है। ऐसे में बाहर से आने वालों की टेस्टिंग करवायें। सभी उद्योगों में अनिवार्य रूप से क्वारेन्टीन सेन्टर बनाया जाए और बाहर से आने वाले कर्मचारियों को आईसोलेट करें। उन्होंने सभी उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके यहां कार्यरत सभी कर्मचारी वेक्सीनेटेड है। किसी कर्मचारी के वैक्सीनेटेड न होने की दशा में उसका टीकाकरण करवायें। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिन उद्योगो में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते नही पाया गया तो कड़ी कार्रवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों व दुकानों में दुकानदार मास्क का उपयोग करें तथा ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामान न दे।

राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हेतु झगरपुर लैलूंगा की बालिकाएं हुई चयनित

» राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 20 बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन से लहराया जिले का परचम

रायगढ़। खेल हेतु अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झगरपुर, विकासखंड लैलूगा, जिला-रायगढ़ की लगभग 20 बालिकाओं ने राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता मे अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय झगरपुर-विकासखंड लैलूंगा-जिला रायगढ़ की बालिकाओं ने खो-खो और क्रिकेट की दोनों विधाओं में 14, 17 एव 19 आयु वर्ग में भाग लेते हुए अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय टीम हेतु अपनी जगह बनाई।

उल्लेखनीय है कि यह पहला मौका नहीं है जब कस्तूरबा गांधी आवासीय

विद्यालय झगरपुर लैलूंगा की बालिकाओं ने खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके पहले भी हुई खेल प्रतियोगिताओं में इनका चयन होता रहा है।

ऐसे रहे खेल के परिणाम

खो-खो बालिका आयुवर्ग 14 में काजल तूरी व दामिनी साय, आयु वर्ग 17 वर्ग में रीना खलखो, प्रियंका लकडा, तुलसी यादव, रेशमा पैकरा तथा खो-खो बालिका आयु वर्ग 19 में सुषमा भगत वहीं टेनिस क्रिकेट बालिका आयुवर्ग 14 में अनिता कोरवा, रोशनी भगत, रीना लकडा, भारती यादव पुनीता पैकरा तथा अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में टेनिस क्रिकेट बालिका 17 आयु वर्ग में शशि कला मेहर, प्रेम शिला, सलमा तिर्की एवं टेनिस बॉल क्रिकेट बालिका आयु वर्ग 19 में मुस्कान, दीपिका सिदार, मोनिका खेस्स, रेशमा, पूजा भोय ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से नेशनल में अपनी जगह बनाई।

बालिकाओं की इस सफलता के पीछे कोच नीरावती मिंज और बजरंग बारीक का विशेष योगदान है। केजीबीवी विद्यालय की बालिकाओं को चयन होने पर कलेक्टर भीम सिंह ने चयनित सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं प्रेषित की है तथा जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ आर.पी.आदित्य, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा आर.के.देवांगन, एपीसी भुवनेश्वर पटेल एवं भूपेंद्र पटेल, विकास खंड शिक्षा अधिकारी लैलूंगा जी.आर.जाटवार, बीआरसी अरविंद राजपूत, संकुल प्राचार्य डी.एस. सिदार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झगरपुर लैलूगा, रायगढ़ की अधिक्षिका क्रुस छाया मिंज व समस्त शिक्षिकाओं ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

मुख्यमंत्री बिजली बिल हाफ योजना के हितग्राही से कलेक्टर भीम सिंह ने की चर्चा

रायगढ़। राज्य शासन द्वारा संचालित बिजली बिल हाफ योजना से घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। इसी संबंध में कलेक्टर भीम सिंह ने आज इस योजना के हितग्राहियों से वीडियो कालिंग के जरिए चर्चा कर उनका फीडबैक लिया। उन्होंने पुसौर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बासनपाली के हितग्राहियों से चर्चा की। हितग्राहियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल हाफ योजना से उन पर बिजली बिल पर लगने वाला आर्थिक भार कम हुआ है, जिसके लिए हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री तथा शासन-प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त किया। चर्चा के दौरान कलेक्टर सिंह द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल हाफयोजना तहत 400 यूनिट

बिजली के उपयोग में हाफ बिजली बिल का भुगतान कर सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपयोकर्ताओं को नियमित रूप से समय पर बिजली बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। अन्यथा बिजली बिल हाफयोजना का लाभ लेने से हितग्राही वंचित होंगे। प्रदेश में लगभग 40 लाख घरेलू उपयोगकर्ताओं को बिजली बिल हाफयोजना के तहत 2145 करोड़ रूपये की बजत से राहत प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायगढ़ के मसाला फसलों के प्रदर्शनी की सराहना की

रायगढ़। इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायुपर में 01 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरुप छत्तीसगढ़ कृषि शिक्षा प्रणाली पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने किया। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न इकाईयों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना, कृषि महविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के प्रदर्शनी में धनिया की प्रजातियों, हल्दी की प्रजातियां एवं जैव विविधता तथा अन्य मसाला फसलों की प्रजातियों का अवलोकन कर केन्द्र की सराहना की एवं भविष्य में इसी तरह से अनुसंधान कार्यों को जारी रखते हुए मसाला फसलों की प्रजातियों में उत्तरोत्तर वृद्धि कर कृषकों के हित में कार्य करने का सुझाव दिया।

प्रदर्शनी के इस अवलोकन में राज्यपाल राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.एस.एस.सेंगर, दाउ वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एन.पी.दक्षिणकर, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर.एस. कुरील, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार सेवाएं, संचालक अनुसंधान सेवाएं, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं कृषि महाविद्यालय रायपुर के अधिष्ठाता डॉ.एम.पी. ठाकुर एवं विभागाध्यक्षों के साथ कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के अधिष्ठाता डॉ.ए.के. सिंह एवं सहायक प्राध्यापक जी.आर. राठिया उपस्थित थे।

जिला न्यायालय में मध्यस्थता विषय पर हुयी कार्यशाला

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विधि छात्रों हेतु इन्टर्नशीप प्रोग्राम के तहत दिनांक 24 दिसम्बर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक कुल 21 दिवसीय शीतकालीन इन्टर्नशीप कराया जा रहा है। इन्टर्नशीप प्रोग्राम के अनुसार, विधि छात्रों को 15 दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ में इन्टर्नशीप कराया जा रहा है।

इसी तारतम्य में रमाशंकर प्रसाद, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, विधि छात्रों हेतु जिला न्यायालय में दिनांक 4 जनवरी 2022 को मध्यस्थता विषय को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यशाला में मध्यस्थता के सबंध में विधि छात्रों में

जागरूकता लाई गई। विधि छात्र मध्यस्थता को लेकर आयोजित इस कार्यशाला से मध्यस्थता के महत्व एवं उसके तौर-तरीके को जान सके।

रायगढ जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने बताया कि मध्यस्थता कानूनी जटिलताओं से दूर मतभेदों को दूर करने के लिये यह एक बेहतर और प्रभावी माध्यम है। छात्रों को मध्यस्थता से होने वाले लाभ के विषय में अवगत कराते हुए यह बताया कि मध्यस्थता विवादों के निपटारे की न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसमें तीसरे स्वतन्त्र व्यक्ति अर्थात् प्रशिक्षित मध्यस्थ के द्वारा दोनों पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनके सामान्य हितों को देखते हुए समझौता कराये जाने का प्रयास किया जाता है। मध्यस्थता से जिन प्रकरणों का निराकरण होता है, उससे संबंधित कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस हो जाती है। यह एक निःशुल्क व्यवस्था है, जिसे किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।

विवेक कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के द्वारा विधि छात्रों को मध्यस्थता के साथ-साथ अन्य विधिक जानकारियॉ प्रदान करते हुए, विधि छात्रों के जिज्ञासाओं का प्रश्नोत्तरी माध्यम से समाधान किया गया। साथ ही श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा विधि छात्रों को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान 'सचेत' पर जानकारी दी गई।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480